तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश,कम–01, जयपुर महानगर द्वितीय**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
<u>21.02.26</u>	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। पूर्व में दिनांक 10–2–26 को वादी के प्रार्थना–पत्र आदेश 11 नियम 12 एवं 14 सीपीसी का निस्तारण किया जाकर न्यायालय द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा एमआई रोड से प्रकरण के प्रतिवादी मैसर्स रिजिट कन्डक्टर्स राज. प्रा. लि. द्वारा जारी चैक नम्बर 832635 व चैक नम्बर 832636 तादादी राशि 2,00,000/– एवं 2,98,000/– रुपये के भुगतान के सम्बन्ध में विवरण चाहा गया था, जिस पर बैंक द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि इस बाबत् कोई विववरण नहीं है एवं खाता नम्बर प्रोवाइड कराने का नोट अंकित किया गया है। इस सम्बन्ध में दिनांक 09–06–14 को प्रतिवादी की ओर से बैंक को उक्त दोनों चैकों के भुगतान का विवरण बाबत् स्टेटमेंट चाहा जाने का पत्र लिखा गया था, जिसकी प्रति न्यायालय में पेश की गई है। जिस पर दिनांक 14–6–14 को बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा एमआईरोड द्वारा यह कहा गया है कि जांच करने पर पाया गया कि उक्त रिकॉर्ड शाखा में उपलब्ध नहीं है एवं यह भी अकित किया गया कि पुराना रिकॉर्ड होने के कारण शाखा द्वारा नष्ट किया जा चुका है एवं उक्त पत्र के साथ प्रतिवादी ने उपरोक्त दोनों चैक जो कि दिनांक 31–5–1999 को जारी किये गये है, उनकी प्रति भी न्यायालय में पेश की गई है। ऐसी स्थिति में चूंकि उक्त चैकों का लेन–देन आज से लगभग 27 वर्ष पहले का बताया जाकर वर्ष 2014 में ही सम्बन्धित बैंक द्वारा रिकॉर्ड पुराना होने के कारण शाखा द्वारा नष्ट किया जा चुकना बताया जा चुका है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त बिन्दु पर दोनों पक्ष अपने–अपने स्तर पर अन्य मौखिक अथवा दस्तावेजी	

साक्ष्य उपरोक्त बिन्दु पर पेश करने को स्वतन्त्र होंगे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी/जिरह हेतु दिनांक 9–3–26 को पेश हो।

(बी.एल. चन्देल)